रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092021-230001
CG-DL-E-28092021-230001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 2021/आश्विन 6, 1943
No. 291] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2021/ASVINA 6, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

संशोधन संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2021

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "कास्टमेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क में दिनांक 8 जून, 2021 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/8/2020-डीजीटीआर में संशोधन।

फा. सं. 6/8/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" के कहा गया है) और तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. पृष्ठभूमि

1. व्यापार उपचार महानिदेशालय ("प्राधिकारी") ने चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "कास्टमेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु की थी और दिनांक 8 जून, 2021 के अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/08/2020-डीजीटीआर ("अंतिम जांच परिणाम") के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की। इस सिफारिशों को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था और दिनांक 26 अगस्त, 2021 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 47/2021 – सीमा शुल्क (एडीडी) ("सीमा शुल्क अधिसूचना") के माध्यम से निश्चयात्मक शुल्क लगाए गए थे।

ख. प्रक्रिया

2. हेनान लिंगबाओ न्यू मैटिरियल्स टेक्नोलॉजी कं. लि. (जिसे आगे “आवेदक” कहा गया है), जो पूर्व में नानयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट कं. लि. मैटिरियल्स. के रूप में जाना जाता था, द्वारा यह दावा करते हुए यह अनुरोध किया गया था कि कंपनी के बिजनेस के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, आवेदक ने कंपनी का नाम नानयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट कं. लि. मैटिरियल्स से बदलकर हेनान लिंगबाओ न्यू मैटिरियल्स टेक्नोलॉजी कं. लि. कर दिया है। कंपनी के नाम में परिवर्तन का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि यह कंपनी के बिजनेस के कार्य-क्षेत्र को और अधिक उपयुक्त रूप से दर्शाता हो। यह अनुरोध उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार शुल्क तालिका में उत्पादक/निर्यातक के नाम के परिवर्तन के लिए दिनांक 17 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 12/2018 (जिसे आगे “व्यापार सूचना” कहा गया है) के संदर्भ में किया गया है।

3. प्राधिकारी ने नाम में परिवर्तन के लिए अनुरोध की जांच की और चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए “कास्टमेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट” के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच के संबंधित हितबद्ध पक्षकारों से विचार/टिप्पणियां मांगी। हालांकि, ना तो घरेलू उद्योग और न ही कोई अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस आवेदन पर कोई टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

4. प्राधिकारी ने दिनांक 31 अगस्त, 2021 को मौखिक सुनवाई की, जिसमें घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि, आवेदक को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस आवेदन के संबंध में कोई अनुरोध/आपत्ति की।

ग. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. आवेदक ने दिनांक 31.05.2021 के ई-मेल के माध्यम से प्राधिकारी को यह सूचित किया कि उसने अपने कार्यकलापों के कार्य क्षेत्र के विस्तार के कारण 15 दिसंबर, 2020 से अपने नाम को नानयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट कं. लि. मैटिरियल्स से बदलकर हेनान लिंगबाओ न्यू मैटिरियल्स टेक्नोलॉजी कं. लि. कर लिया है। आवेदक ने आगे प्राधिकारी से अपने नए नाम अर्थात हेनान लिंगबाओ न्यू मैटिरियल्स टेक्नोलॉजी कं. लि. का उल्लेख अंतिम जांच परिणाम की शुल्क तालिका में तथा अन्य संगत स्थानों पर करने का अनुरोध किया क्योंकि आवेदक ने प्राधिकारी के साथ पूर्ण रूप से सहयोग किया था। प्राधिकारी द्वारा नाम में परिवर्तन के लिए अनुरोध पर विचार इस आधार पर नहीं किया गया था कि यह अनुरोध जांच के विलंबित चरण में प्राप्त हुआ था। हालांकि, प्राधिकारी ने आवेदक को दिनाक 17.09.2018 की व्यापार सूचना सं. 12/2018 के अनुसार नाम में परिवर्तन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसे अंतिम जांच परिणाम के पैरा 121 (vi) से देखा जा सकता है।

6. दिनांक 17 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 12/2018, जिसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था, विदेशी उत्पादक/निर्यातकों द्वारा नाम में परिवर्तन के लिए प्रावधानों तथा प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार शुल्क तालिका में नाम में परिवर्तन को लागू करने की प्रक्रिया को देखता है। व्यापार सूचना नाम में परिवर्तन के लिए जांच करने के वास्ते त्वरित प्रक्रिया का निर्धारण करता है, जहां नाम में परिवर्तन केवल रिकॉर्ड का एक मामला हो।

7. इसके अलावा, आवेदक ने यह अनुरोध किया कि कंपनी के क्रियाकलाप के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण नाम में परिवर्तन उस श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसके कारण नाम में परिवर्तन केवल रिकॉर्ड का एक मामला है। निम्नलिखित तथ्य यह साबित करते हैं कि उनके दावे के समर्थन में उनका भी उल्लेख किया गया था-

क. आवेदक के प्रबंधन/प्रोमोटर समूह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ख. आवेदक की शेयर होल्डिंग/स्वामित्व संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ग. आवेदक के बिजनेस कार्य-पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. आवेदक के नाम में परिवर्तन अथवा बदले हुए परिदृश्य के कारण इस प्रतिष्ठान को कोई संभावित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

8. आवेदक ने कानून के अनुसार आवेदक के ठोस दावे को स्थापित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य के साथ-साथ एक पूर्ण आवेदन विधिवत् दायर किया है। निम्नलिखित दस्तावेजों को आवेदक द्वारा दिनांक 17 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 12/2018 के अंतर्गत आवेदन में प्रस्तुत किया गया है:

i. मूल बिजनेस लाइसेंस

ii. संशोधित बिजनेस लाइसेंस

iii. कंपनी के मालिक द्वारा लिखित वचन-पत्र

iv. वर्ष 2020 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट।

9. कोई भी उत्तर अथवा कोई आपत्ति घरेलू उद्योग अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच और सिफारिशें

10. आवेदक द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से, यह नोट किया जाता है कि उन्होंने कंपनी के क्रियाकलाप के कार्य-क्षेत्र के विस्तार के कारण अपनी कंपनी के नाम में परिवर्तन की मांग की है।

11. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस अनुरोध को दिनांक 17 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 12/2018 में निर्धारित शर्तों के क्षेत्र के भीतर शामिल किया गया है। इस स्थिति को घरेलू उद्योग सहित किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

12. इस कारण से प्राधिकारी दिनांक 8 जून, 2021 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 6/8/2020 –डीजीटीआर के अनुच्छेद 130 में शुल्क तालिका में निम्नलिखित परिवर्तन की सिफारिश करते हैं:

क्रम सं. 1 पर, कॉलम 6 में उत्पादक अर्थात् "नानयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट कं. लि. मैटिरियल्स" के नाम की जगह पर "हेनान लिंगबाआगे न्यू मैटिरियल्स टेक्नोलॉजी कं. लि." प्रतिस्थापित किया जाए।

13. तद्नुसार, प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि दिनांक 26 अगस्त, 2021 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 47/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) में आवश्यक संशोधन भी किया जा सकता है।

14. इस सिफारिश के कारण दिए गए केन्द्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2021

Subject : Amendment to the Final Finding Notification No. 6/8/2020-DGTR dated 8th June, 2021 in Anti-dumping duty imposed on the imports of "Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/8/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Rules") thereof;

A. BACKGROUND

1. The Directorate General of Trade Remedies ("Authority") had conducted an antidumping investigation concerning imports of "Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding

cosmetic grade" originating in or exported from China PR and recommended imposition of definitive anti- dumping duties *vide* final finding Notification No. 6/08/2020-DGTR dated 8th June, 2021 ("Final Findings"). The recommendations were accepted by the Ministry of Finance, and definitive duties were imposed *vide* Customs Notification No. 47/2021-Customs (ADD) dated 26th August, 2021 ("Customs Notification").

B. PROCEDURE

2. A request was made by Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd (hereinafter referred to as "Applicant"), previously known as Nanyang Lingbao Pearl Pigment Company Limited Materials, claiming that due to the change in scope of the business of the company, the Applicant has changed the name of the company from Nanyang Lingbao Pearl Pigment Company Limited Materials to Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd. The objective of the change in the name of the company was only to make sure that it reflects the scope of business of the company more appropriately. The request has been made in terms of the Trade Notice No. 12/2018 dated 17th September, 2018 (hereinafter referred to as "Trade Notice"), for change of name of the producer/exporter in the duty table as notified by above-mentioned Customs Notification.

3. The Authority examined the request for name change, and sought comments from the concerned interested parties of the original anti-dumping investigation concerning import of Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade" originating in or exported from China. However, neither the domestic industry nor any other interested parties filed any comments on the application.

4. The Authority conducted an oral hearing on 31st August, 2021, wherein, domestic industry and other interested parties were also invited. However, none of the interested parties other than the applicant, made any submissions / objection to the application.

C. **SUBMISSIONS BY THE APPLICANT & OTHER INTERESTED PARTIES**

5. The applicant *vide* email dated 31.05.2021, informed the Authority that it has changed its name from Nanyang Lingbao Pearl Pigment Co Ltd Materials to Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd) with effect from 15th December, 2020 due to the expansion of the scope of its operations. The applicant further requested the Authority to mention its new name i.e., Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd in the duty table as well as other relevant places of the Final Findings since the applicant had fully cooperated with the Authority. The request for change in name was not considered by the Authority on the ground that it was received at a belated stage of the investigations. However, the Authority has encouraged the applicant to file an application for change in name as per Trade Notice No. 12/2018 dated 17.09.2018 as can be seen from para 121(vi) of the Final Findings.

6. Trade Notice No. 12/2018 dated 17th September, 2018 issued by the Authority deals with the provisions for change of name by the foreign producer/exporters, and the procedure to bring the name change into effect in the duty table as recommended by the Authority. The Trade Notice prescribes an expedited procedure for conducting an investigation for change in name, where the change of name is a matter of 'record' only.

7. Further, the Applicant submitted that the change of name due to change in the scope of operation of the company falls under the category whereby the change of name is a matter of 'record' only. The following facts substantiates were also mentioned in support of their claim -

   a. There is no change in management/promoter group of the Applicant.

   b. There is no change in the shareholding/ownership structure of the Applicant.

   c. There is no change in the business practice of the Applicant.

   d. There is no likely advantage to the entity due to the change in name or changed scenario of the Applicant.

8. The Applicant has, in accordance with the law, duly filed a complete application along with all the required evidences to establish the *bona-fide* claims of the Applicant. The following documents have been filed by the Applicant in the application under the Trade Notice No. 12/2018 dated 17th September, 2018

i. Original Business License;

ii. Revised Business License;

iii. Undertaking by the owner of the company;

iv. Audited Annual Reports for the year 2020.

9. No response or any objection was filed by the Domestic Industry or any other interested party.

D. EXAMINATION AND RECOMMENDATION BY THE AUTHORITY

10. The submissions made by the applicant have been examined. From the documents filed by the Applicant, it is noted that they have sought the change in name of their company due to expansion of the scope of the operations of the company.

11. The Authority notes that the request is covered within the scope of the conditions prescribed in Trade Notice No 12/ 2018 dated 17th September, 2018. This position has not been challenged by any interested party including the domestic industry.

12. The Authority, therefore, recommends the following change in the duty table in paragraph 130 of Final Findings No. 6/8/2020 - DGTR dated 8th June 2021:

At S. No. 1, in column 6, the name of the producer viz. “Nanyang Lingbao Pearl Pigment Company Limited Materials” to be substituted by “Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd”.

13. Accordingly, the Authority recommends that necessary amendment may also be carried out in Customs Notification no. 47/2021- Customs (ADD) dated 26th August 2021.

14. An appeal against the orders of the Central Government arising out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.28 22:42:41 +05'30'